

परियोजना विवरण :- जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र चकराता के विकासखण्ड कालसी मे हमराऊ ललऊ मोटर मार्ग से ग्राम गोथान तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव ।
(लम्बाई 2.00 किमी०)

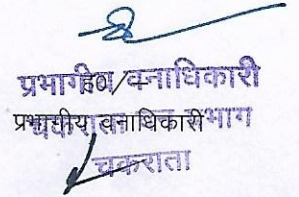
एन०पी०वी० की धनराशि का आंकलन

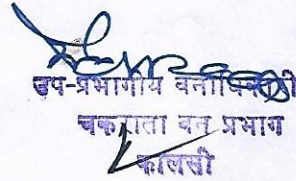
प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05-02-2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन०पी०वी० की देयता निम्नानुसार है :-

1. ईको- क्लास श्रेणी - V
2. हरियाली का घनत्व - 0.2
3. एन०पी०वी० की दर प्रति हे० रुपये 6,57,000 = ८०
4. आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल:- 0.665 हे०
5. कुल देय एन०पी०वी० की धनराशि रू० 4,36,905 = ८०



वन क्षेत्राधिकारी
शेवर राजि डाकपत्थर


प्रभागिक/वनाधिकारी
प्रभुसीया वनाधिकारी
चकराता


उप-प्रभागीय वनाधिकारी
चकराता वन प्रभाग
कालसी

परियोजना विवरण :- जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र चकराता के विकासखण्ड कालसी मे हमराऊ ललऊ मोटर मार्ग से ग्राम गोथान तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव ।
(लम्बाई 2.00 किमी०)

एन०पी०वी० की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा० उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में कोई बढ़ोत्तरी की जाती है तो एन०पी०वी० की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग को यथासमय कर दिया जायेगा।

अधीन
सहायक अभियन्ता
अस्थायी खण्ड, लो० नि० वि०
साहिवा

कनिष्ठ / अधीन
अधीन
अस्थायी खण्ड, लो० नि० वि०
साहिवा

सहायक अभियन्ता
अस्थायी खण्ड, लो० नि० वि०
साहिवा

Executive Engineer
T. D. P.W.D.
Sahwa

परियोजना विवरण :- जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र चकराता के विकास
ललऊ मोटर मार्ग से ग्राम गोथान तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव ।
(लम्बाई 2.00 किमी०)

वन भूमि के मूल्य/वार्षिक लीज रेन्ट का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वन भूमि का वर्तमान बाजार दर से मूल्य रुपये
1295000.00 प्रति हे० है तथा उक्त प्रयोजन हेतु 0.665 हे० वन भूमि का कुल प्रीमियम (मूल्य) रुपये
861175.00 होता है। उक्त वन भूमि का वार्षिक लीज रेन्ट प्रीमियम (मूल्य) का शून्य प्रतिशत की दर से रुपये
शून्य प्रतिवर्ष होता है।

ह०
जिलाधिकारी
जिलाधिकारी
देहरादून।